अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली की वेस्टर्न हिमालयन माऊंटेनियरिंग इंस्टीटूट (WHMI) सोसाईटी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 30.3.2002 से 31.3.2013

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली की वेस्टर्न हिमालयन माऊँटेनरिंग इन्स्टीटूट (WHMI) सोसाईटी का गठन वित्तायुक्त एवं सचिव युवा सेवा एवं खेल हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या YSS –A(2)-1/2000 दिनांक 30.1.2002 के अन्तर्गत सोसाईटी की विभिन्न की प्रकार एकत्रित फीस से सोसाईटी की गतिविधियों को बढ़ावा देना व गुणवता में सुधार लाने हेतु किया गया। WHMI सोसाईटी के अवधि 30.2.2002 से 31.3.2012 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19.8.2013 से 21.9.2013 के दौरान मनाली में किया गया जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में दिये गये है। माह 3/2002, 3/2003, 3/2004, 8/2004, 3/2006, 3/2007, 3/2008, 3/2009, 3/2010, 3/2011, 12/2011 व 7/2012 के लेखों का चयन आय की विस्तृत जाँच के लिए और माह 12/2002, 11/2003, 6/2004, 5/2005, 11/2006, 12/2007, 10/2008, 3/2010, 12/2010, 9/2011 व 7/2012 के लेखों का चयन व्यय की विस्तृत जाँच के लिए किया गया।

वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्न अधिकारी सोसाईटी लेखों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पदों पर कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	केप्टन रणधीर सिंह सालूहूरिया	01.4.02 से 31.12.06
2	श्री महावीर सिंह ठाकुर	01.01.07 से 31.3.13

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹ लाखों में
1	5	विद्युत बोर्ड को बिजली के बिलों पर विविध प्रभार का भुगतान करना	0.80
2	7	श्री धर्मवीर सिंह, गुलिया तथा श्री रेलू राम ठाकुर को मंहगाई भत्ते का दोहरा भुगतान करना	3.79
3	8	विभिन्न विभागों को निर्माण कार्यों हेतु भुगतान की गई अग्रिम के उपयोगिता प्रमाण पत्र/पावती रसीद प्रस्तुत न करना	14.80
4	9	मै0 ट्रेकों एक्यूपमैन्ट दिल्ली को अधिक भुगतान करना	0.29
5	10	विभिन्न कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	15.88

2 अंकेक्षण शुल्कः–

WHMI सोसाईटी के अवधि 30.3.2002 से 31.3.2013 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹12000/– किया गया। WHMI सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को संस्थान के खाद्य लेखों के अंकेक्षण शुल्क के साथ संकलित करके भेज दिया गया है जिसका ब्यौरा संस्थान के अवधि 4/2007 से 3/2013 के खाद्य लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दिया गया हैं।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) WHMI सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी के अवधि 30.3.2002 से 31.3.2013 लेखों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट–I** में संलग्न है। वित्तीय स्थिति व रोकड़ वही तथा बैंक खातों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई।

(i) संस्थान द्वारा परिशिष्ट–I (A) में दिए गए विवरणानुसार ₹2130612/– के "Cheque in hand" दर्शाए गए है जिसमें से अधिकांश राशियाँ "cheques in hand" के रूप में दर्शाई गई है तथा कुछ राशियों बैंक चार्जिज के रूप में भी दर्शाई गई है परन्तु इन राशियों के बारे में संस्था द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अतः इन समस्त राशियों की संस्था स्तर आन्तरिक जाँच करके तथा नियमानुसार इनका लेखाकंन करके वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) संस्थान द्वारा परिशिष्ट I (B) में किए गए विवरणानुसार ₹1420579/– के "Outstanding Cheques" दर्शाए गए है जिनसे कुछ राशियाँ "outstanding cheques" के रूप में दर्शाई गई है तथा कुछ राशियाँ TDS एवं Interest इत्यादि के रूप में दर्शाई गई है परन्तु इन राशियों के बारे में संस्था द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अतः इन समस्त राशियों की संस्थान स्तर पर आन्तरिक जाँच करके तथा नियमानुसार इनका लेखाकंन करके वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा अवधि 3/2002 से 3/2013 के दौरान रोकड़ वही में माह के अन्त में तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी अपितु संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष में जोड़कर उक्त परिशिष्ट I (A) की राशियों को जोड़कर तथा परिशिष्ट I (B) की राशियों को घटाकर रोकड़ वही तथा बैंक के अनुसार ₹2517157/– का अन्तर निकाला है परन्तु संस्थान द्वारा अन्तर की उक्त वर्णित ₹2517157/– का मिलान न करके निम्नविवरणानुसार उप पैरा 3 (ग) के अनुसार अन्तर की राशियों का मिलान करने का प्रयत्न किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि निम्न वर्णित उप–पैरा 3 (ग) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के अतिरिक्त शेष राशियों का भी रोकड़ वही/बैंक खातों से मिलान किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

(ग) (i) रोकड़ वही की प्रविष्टियों व बैंक पास बुक की प्रविष्टियों का मिलान करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–II** में दिए गए विवरणानुसार बैंक में जमा की गई ₹3492661 की रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता का मामला है। अतः रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके बैंक में जमा राशियों का रोकड़ वही में लेखांकन करने के

साथ–साथ सम्बन्धित अभिलेख में इसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ii) रोकड़ वही की प्रविष्टियों तथा बैंक पास बुक की प्रविष्टियों का मिलान करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-III** में दिए गए विवरणानुसार ₹956598/– बैंक पास बुक में भुगतान की गई पाई गई लेकिन उक्त राशि की रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ नहीं की गई जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ऐसी सभी राशियों की संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इनका रोकड़ वही में लेखाकंन करने के साथ–साथ सम्बन्धित अभिलेख से पूर्ण विवरण दिया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच करवाई जाए।

(iii) रोकड़ वही की प्रविष्टियों व बैंक पास बुक की प्रविष्टियों का मिलान करने पर पाया गया कि रोकड़ वही में निम्नलिखित राशियों का चैक द्वारा भुगतान किया गया था लेकिन पास बुक में इन राशियों/चैकों की निकासी नहीं पाई गई जिसके बारे में आवश्यक छानबीन करने के उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	**रोकड़ वही पृ0सं0**	**विवरण**	**राशि**
28.7.2012	137	चैक संख्या 262877	49140
28.7.2012	137	चैक संख्या 262877	86004
28.7.2012	138	————	2125
28.7.2012	138	चैक संख्या 262880	1520
28.7.2012	137	चैक संख्या 262883	1472
24.9.2012	10	चैक संख्या 262896	46342
20.3.2012	–	चैक संख्या 13109	132105
		कुल योग	**₹318708**

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान द्वारा दिनांक 27.11.10 को बैंक में जमा ₹2319480/–, दिनांक 17.9.12 को बैंक में जमा ₹479901 तथा TDS से प्राप्त विभिन्न राशियों के स्त्रोत का अभिलेख सहित पूर्ण ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे प्रस्तुत करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

4 निवेशः—

WHMI सोसाईटी द्वारा अवधि 3/2002 से 3/2013 के दौरान किए गए सावधि जमा योजना में निवेश की स्थिति **परिशिष्ट–IV** पर संलग्न है। संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में किए गए निवेश की जाँच करने पर निम्नलिखित टिप्पणियों अंपेक्षित है।

(i) संस्थान द्वारा वित्तीय स्थिति के अनुसार सावधि जमा योजना में ₹14222295/– निवेशित की गई दर्शाई गई है जोकि उक्त **परिशिष्ट–IV** में दर्शाई गई राशि से मेल नहीं खाती है। उक्त परिशिष्ट के प्रथम दृश्य अवलोकन में ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा इस परिशिष्ट में वर्णित FDRs को परिपक्तवा से पहले भुनाकर इन FDRs का नवीनीकरण करके इन्हें पुनः निवेशित कर दिया गया है परन्तु वितीय स्थिति में FDRs की मूल राशियों को ही सम्मिलित किया गया है। अतः FDRs के नवीनीकरण के उपरान्त भी पुनः निवेशित राशियों के स्थान पर वित्तीय स्थिति में मूल राशियों को ही सम्मिलित करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए क्योंकि अभिलेख की जाँच से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा इन FDRs के नवीनीकरण के समय प्राप्त ब्याज को रोकड़ वही में सम्मिलित नहीं किया गया और तदानुसार ब्याज की राशि को वित्तीय स्थिति में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त पूरे प्रकरण की संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई भी की गई तथा FDRs द्वारा ब्याज की राशियों का भी ठीक ढ़ंग से लेखाकंन किया जाए।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त WHMI सोसाईटी लेखों से किये गये निवेशों की जाँच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि निवेशित राशियों की परिपक्वता राशि व नवीनीकरण पर दर्शाई गई राशि में निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया कि जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	FDR No. Bank Name	Date of Maturity	Maturity value	Renewal Amount	Difference
1	30210958007/0144086 SBI	10-4-11	2471419	2455726	15693
2	30210304031/0144078 SBI	20-5-11	458068	436767	21301
3	30210957740/1440852 SBI	29-5-11	4673145	4603304	69841
4	10437971542/0144208 SBI	30-8-10	11667836	9615700	2052136
				Total	**2158971**

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि संस्थान द्वारा अवधि 3/2002 से 31.3.2007 के दौरान किए गए निवेशों का ब्यौरा सही ढ़ंग से नहीं रखा गया

जिससे किए गए निवेशों की परिपक्वता राशि तथा प्राप्त ब्याज की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि सावधि जमा योजना में सोसाईटी के गठन की तिथि से ही निवेशित राशियों का क्रमवार तथा तिथिवार पूरा ब्यौरा रखा जाए तथा परिपक्वता पर प्राप्त राशियों का सम्बन्धित बैंकों से क्रमवार तथा तिथिवार मिलान करके अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 विद्युत बोर्ड को बिजली के बिलों पर ₹80676/– के विविध प्रभार का भुगतान करना:–

WHMI सोसाईटी लेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि माह 10/2008 के दौरान निम्नविवरणानुसार बिजली के बिलों का ₹192281/– का भुगतान किया गया। इन बिलों में विद्युत द्वारा ₹80676/– विविध प्रभार (Sundry Charge) के रूप में वसूल की गई थी जिसके बारे में विद्युत विभाग से आवश्यक छानबीन करने के बाद वस्तुस्थिति सें अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

बिल सं0	दिनांक	भवन का नाम	कुल बिल	विविध प्रभार की राशि
297898	24.9.08	Adventure Lodge	25708	10480
297893	24.9.08	New Hostel	80795	42155
297897	24.9.08	Auditorion	62710	21845
297895	24.9.08	Streert Light	10292	923
297896	24.9.08	Kitchen Block	12776	5270
		Total	**192281**	**80676**

6 M/S Feamat Camping Equipment को दी गई अग्रिम ₹553200/– के समायोजन के बिल/वाउचर/अभिलेख प्रस्तुत न करना:–

रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 35 पर माह 3/2010 के दौरान अग्रिम ₹553200/– का भुगतान M/S Feamat Camping Equipment को पर्वतारोहण से सम्बन्धित सामान खरीदने हेतु बैंक ड्राफ्ट संख्या 337248 दिनांक 12.3.10 द्वारा किया गया दर्शाया गया। उक्त अग्रिम राशि का समायोजन किन बिलों/वाउचरों के साथ किया गया, इससे सम्बन्धित अभिलेख

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांन्छित अभिलेख, बिल, वाउचर, कोटेशनें इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

7 श्री धर्मवीर सिंह, गुलिया तथा श्री रेलू राम ठाकुर को मंहगाई भत्ते का ₹379946/– का दोहरा भुगतान करनाः–

WHMI सोसाईटी के लेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री धर्मवीर सिंह गुलिया और श्री रेलू राम ठाकुर को सेवा निवृति उपरान्त ओ0एस0डी0 के पद पर पुनः नौकरी पर रखा गया। उक्त अधिकारियों को निम्नलिखित अवधि के लिये तैनाती के दौरान निर्धारित वेतन पर सरकार द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते की किशतों का भी भुगतान किया गया जबकि इन अधिकारियों द्वारा पेन्सन के साथ भी मंहगाई भत्ता लिया जा रहा था। अतः निम्न विवरणानुसार इन अधिकारियों को किए गए दोहरें मंहगाई भत्ते के भुगतान की तुरन्त वसूली की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

1 Sh. Dharamvir Singh Gulia

Period	**Pay Drawn DA**	**Due**	**Diff**	**Month**	**Excess D.A. Drawn**
1-6-2011	15345+7826	15345	7826	1	7826
1-7-2011 to 31-12-2011	15345+8900	15345	8900	6	53407
1-1-12 to 30-6-12	15345+9974	15345	9974	6	59844
1-7-12 to 31-12-12	15345+11048	15345	11048	6	66288
1-1-13 to 30-6-13	15345+12276	15345	12276	6	73656
				Total	**261014**

2 Sh. Relu Ram Thakur

1-8-11 to 31-12-11	15815+9173	15815	9173	5	45865
1-1-12 to 30-6-12	15815+1138	15815	10280	6	61680
1-7-12	15815+1138	15815	11387	1	11387
				Total	**118932**

8 विभिन्न विभागों को निर्माण कार्यों हेतु भुगतान की गई अग्रिम ₹1480465/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र/पावती रसीद प्रस्तुत न करनाः–

WHMI सोसाईटी के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–V** पर दिए गए विवरणानुसार संस्थान द्वारा विभिन्न विभागों को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम ₹14804465/– की प्रदान की गई थी। उक्त अग्रिम राशि के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से उपयोगिता पत्र व पावती रसीदें अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई। अतः सम्बन्धित विभागों से उपरोक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र व भुगतान की पावती रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

9 मै0 ट्रेकों एक्यूपमैन्ट दिल्ली को ₹29420/– का अधिक भुगतान करनाः–

WHMI सोसाईटी के लेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि माह 7/12 के दौरान मै0 ट्रकों एकयूपमैन्ट दिल्ली को पर्वतारोहण से सम्बन्धित सामान का क्रय करने के लिए उनके बिल संख्या 6/225 दिनांक 9.6.12 व बिल संख्या 252 दिनांक 9.6.12 के अन्तर्गत कमशः ₹2707031 व ₹136500/– का भुगतान किया गया। पर्वतारोहण से सम्बन्धित खरीदे गए सामान उक्त सामान को ट्रक द्वारा दिल्ली से मनाली लाते समय स्वारघाट में ट्रक ड्राईवर द्वारा ₹29420/– का टैक्स के रूप में भुगतान किया गया जिसे रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 76 पर दिनांक 27.7.12 को दर्ज करके उपरोक्त फर्म को भुगतान कर दिया गया जबकि फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाओं मे ंसामान को सभी टैक्सों सहित मनाली में पहुचाया जाना था। इस प्रकार मै0 ट्रेकों एक्यूपमैन्ट दिल्ली को ₹29420/– का अधिक भुगतान किया गया जिस

की उचित माध्यम से वसूली करके सोसाईटी लेखों में जमा करवाई जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10 विभिन्न कर्मचारियों को दी गई अग्रिम ₹1588068/– का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

WHMI सोसाईटी के लेखों/अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को समय–2 पर अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था। उक्त अग्रिमों के समायोजन की 31.3.13 की स्थिति के बारे में सूचना देने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 992 दिनांक 30.9.11 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस बारे में कोई स्थिति उपलब्ध नहीं करवाई गई। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा ₹1588068 का समायोजन करवाना शेष था जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	**Name**	**Amount**
1	Mrs. Dicky Dolma	5000
2	Director, Commercial Account	150000
3	Mr. Gotam Lal	1500
4	Co. H.S. Chohgam	
5	Sh. D.S. Gulia	20000
6	H.P. Winter Games Association	5000
7	Incharge, Momtaineering Subcentre Bharmor	300000
8	Incharge, Subcentre Jispa	150000
9	Junior Ski Champinship	100000
10	Sh. Kishiri Lal	214199
11	Sh. Krshan Dyal	16000
12	Incharge Mont sub Centre Jispa	7000
13	Sh. Ramesh Chand	100000
14	Incharge Regional Water Sports centre, Pong Dam	10769
15	Incharge, Adventure sports centre Hatkoti	398600
	Total	**1588068**

अतः उक्त असमायोजित अग्रिम राशियों की संस्थान स्तर पर भी आन्तरिक जाँच करके इनका शीध्रता से समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 Vising Instructor व Portors की मजदूरी इत्यादि पर ₹1895783/– का अनियमित भुगतान करनाः–

WHMI सोसाईटी के लेखों/अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–VI** के अनुसार सोसाईटी के लेखों से Visiting Instructor व Porters की मजदूरी इत्यादि पर ₹1895783/– का भुगतान किया गया था जोकि सोसाईटी लेखें पर उचित प्रभार नहीं है क्योंकि दैनिक भोगी Visiting Instructor व Porters की मजदूरी का भुगतान व्यवसायिक लेखो व खाद्य लेखों से किया जाना अपेक्षित था। अतः Visiting instructor व Porters की मजदूरी को सोसाईटी लेखों से भुगतान करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये व इस भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से इसकी प्रतिपूर्ति करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 गाड़ियों के पैट्रोल/डीजल तथा मुम्मरत इत्यादि पर ₹524618/– का अनियमित भुगतान करनाः–

WHMI सोसाईटी के लेखों/अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि सोसाईटी के लेखों से पैट्रोल, डीजल व गाड़ियों की मुरम्मत पर निम्नलिखित राशियाँ खर्च की गई थी जोकि सोसाईटी लेखों में उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित भुगतान को नियमित करवाने के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करके कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	रोकड़ वही पृ0सं0	भुगतान का विवरण	राशि
9.3.06	146 से 153	Petrol and whricant	149991
12.4.10	45 से 52	-do-	298566
21.12.10	96	HP Agro Industries Corporation Tyre	28500
21.12.10	97	M/S KV Motors Solikhad Repairy vehicle Mandi	47561
		योग	**₹524618**

13 WHMI सोसाईटी द्वारा ₹1864979/– के बिल/वाउचर एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

WHMI सोसाईटी के लेखों/अभिलेख की जाँच के दौरान संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–VII** में दिए गए विवरणानुसार ₹1864979/– के बिल/वाउचर व सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 "Artificial Rock Cimbing Wall" के निर्माण हेतु भुगतान की गई राशि के बारे मेंः–

WHMI सोसाईटी को माह 3/2010 में निदेशक, युवा एवं खेल विभाग से ₹1800000/– की ग्रांट में Artificial Rock Climling Wall के निर्माण हेतु प्राप्त हुई। संस्थान द्वारा प्राप्त की गई ग्रांट की इस राशि में से व्यय की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत नही किया गया। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि "Artificial Rock Climbing wall" के रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 8 पर माह 9/2011 को ₹1100000/– का भुगतान मै0 आऊटडोर स्कूल नारायणा नई दिल्ली को उनके बिल संख्या 3 दिनांक 7.7.2011 के अन्तर्गत निर्माण के लिए किया गया। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र व संस्थान की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा उपरोक्त निर्माण का कार्य सन्तोषजनक पाए जाने बारे रिपोर्ट अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 श्री मुन्ना राम व श्री देस राज को चिकित्सा भत्ते तथा महगाई भत्ते का ₹5327/– का दोहरा भुगतान करनाः–

रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 10 पर माह 9/2011 के दौरान श्री मुन्ना राम व श्री देसराज को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों व मंहगाई भत्ते की ₹5327/– का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया।

श्री मुन्ना राम चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	225
श्री मुन्ना राम चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	830
श्री मुन्ना राम को महंगाई भत्ते का भुगतान 1.1.11 से 26.2.'11	2364
श्री देस राज को महंगाई भत्ते का भुगतान 1.1.11 से 26.2.1	1908
योग	**5327**

अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि उपरोक्त भुगतान रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 9 पर पहले ही किया जा सुका था। अतः मामले की छानबीन करने के उपरान्त दोहरे किए गए भुगतान की उचित माध्यम से वसूली की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 मै0 राही गैस सर्विस मनाली को गैस की फिटिंग हेतु भुगतान करते समय अग्रिम ₹25000/– को न घटाने बारेः–

रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 38 पर माह 3/2010 के दौरान ₹35605/– का भुगतान मै0 राही गैस सर्विस मनाली का गैस की फिटिंग हेतु किया गया। उक्त भुगतान करते समय फर्म को रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 27, पर चैक संख्या 29693 दिनांक 25.3.10 द्वारा दी गई अग्रिम ₹25000/– को नहीं घटाया गया है। अतः मामले की छानबीन करने उपरान्त उक्त राशि की फर्म से वसूली की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 अन्य विविध अनियमितताऐंः–

WHMI सोसाईटी के खातों की जाँच करने पर निम्नलिखित अन्य विविध अनियमितताएं भी पाई गईः–

(i) WHMI सोसाईटी के अवधि 3/2002 से 3/2013 के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा रोकड वही में जरूरत से ज्यादा राशि हस्तगत रखी गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता हैं। अतः आवश्यकता से अधिक हस्तगत राशि रखने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हस्तगत के रूप में कम से कम राशि रखी जाए। गत तीन वर्षो में रखी गई हस्तगत राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

हस्तगत राशि

माह	**वर्ष 2010–11**	**वर्ष 2011–12**	**वर्ष 2012–13**
अप्रैल	74608	343312	308210
मई	44318	468472	308210
जून	1343	529022	268868
जुलाई	35803	583622	279792
अगस्त	24831	550622	228163
सितम्बर	147534	568372	262483
अक्तूबर	32704	428544	280585
नवम्बर	126268	406952	277285
दिसम्बर	201330	429702	303259
जनवरी	153543	483662	313259
फरवरी	197104	541315	327009
मार्च	193312	321504	331359

(ii) WHMI सोसाईटी की रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 118 पर दिनांक 7.4.2011 को ₹255410 खाद्य लेखों की ट्रांसफर की गई दर्शाई गई जिस के बारे में रोकड़ वही में विवरण नहीं दिया गया है। अतः उक्त राशि को खाद्य लेखों में ट्रांसफर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित विवरण अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाये।

(iii) अभिलेख की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि संस्थान द्वारा कई मामलों में आय के रूप में प्राप्त की गई राशि से सीधे भुगतान भी कर दिया गया जो कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों की अवहेलना है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही में पृष्ठ संख्या 5 पर दिनांक 2.7.2009 को कुल प्राप्त आय की ₹277533/– में से श्री बाला राम ट्रेकिंग गाईड की आर0डी0 की ₹2500/– को रिफण्ड किया गया दर्शाया गया तथा बैंक में शेष ₹275033/– जमा करवाई गई। इस प्रकार सोसाईटी खाते में ₹2500/– कम जमा करवाई गई जिनका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही के

पृष्ठ संख्या 27 पर दिनांक 4.11.2008 को आय की कुल ₹379981 में से स्टोर रिकवरी की ₹7570/– के घटाने के बाद ₹372411/– बैंक खाते में जमा करवाई गई। इस प्रकार सोसाईटी खाते में ₹7570/– कम जमा हुये। अतः स्टोर रिकवरी घटाने के बार में स्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त ₹7570/– की उचित मामध्यम से वसूली की जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि आय के रूप में प्राप्त राशि का रोकड़ वही में लेखाकंन करने पर ही उसमें से खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 78 पर माह 9/2010 को हस्तगत के रूप में अन्तशेष की ₹148374/– थी जबकि यह ₹147534 दर्ज की गई। इस प्रकार ₹840/– रोकड़ वही में कम दर्ज की गई जिसकी चूक कर्ता से वसूली करके इसे सोसाईटी के लेखों में जमा किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(v) WHMI सोसाईटी के आय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि खाद्य एवं व्यवसायिक लेखों से विभिन्न कोर्सों की निम्नलिखित फीस की राशियाँ भी सोसाईटी के लेखों में जमा की गई थी परन्तु इनकी कोर्स की विवरणी अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः अनुपालना हेतु वांन्छित अभिलेख की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

क्र0सं0	**माह**	**रोकड़ वही पृ0सं0**	**फीस का विवरण**	**राशि**
1	3/03	2	व्यवसायिक लेखों से प्राप्त फीस	754473
2	3/03	2	व्यवसायिक लेखों से प्राप्त फीस (FDR)	2558755
3	3/03	2	वाटर स्पोर्टस, धर्मशाला से प्राप्त फीस	121030
4	3/04	16	व्यवसायिक लेखों से प्राप्त फीस (2003–04)	5649026
5	3/04	16	व्यवसायिक लेखों से प्राप्त फीस (2003–04)	161588
6	3/06	16	व्यवसायिक लेखों से प्राप्त फीस (2005–06)	1127677
7	3/06	16	व्यवसायिक लेखों से प्राप्त फीस (2005–06)	77275
8	3/07	110	विभिन्न कोर्सों से प्राप्त फीस (i) नारकण्डा (ii) पौगडेम	228950 658223
9	3/07	110	विशेष कोर्सो से प्राप्त फीस, मनाली	1053407

10	3/09	स्की कोर्सो से प्राप्त फीस	133265
11	3/10	विभिन्न कोर्सो से प्राप्त फीस, नारकण्डा (2009–10)	321769
12	3/11	व्यवसायिक लेखों से प्राप्त फीस (मनाली)	567809
13	3/11	विशेष कोर्सो से प्राप्त फीस	672550

(vi) WHMI सोसाईटी के आय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार सोसाईटी के लेखों में विभिन्न प्रकार के सामान से सम्बन्धित जो वसूली दर्शाई गई थी उनकी विवरणी व स्टोर/स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण के दौरान नहीं दर्शाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	**माह**	**रोकड़ वही पृ0सं0**	**विवरण**	**राशि**
1	3/03	6	श्री भाला राम से प्राप्त विभिन्न प्रकार के सामान की वसूली	26477
2	3/11	–	विभिन्न प्रकार के स्टोर के सामान की वसूली	31695
3			–यथोपरि–	43112
4	12/11	28	विभिन्न प्रकार के स्टोर के सामान की वसूली	9525
5	12/11	28	–यथोपरि–	15600
6	12/11	28	–यथोपरि–	4298
7	12/11	28	उपकरणों की किराए की वसूली	18600
8	7/12	–	उपकरणों की किराए की वसूली	8600

(vii) माह 3/2010 के दौरान WHMI सोसाईटी के लेखों से विभिन्न प्रकार के खर्चों की ₹95000/– की रिकूपमेन्ट की गई दर्शाई गई परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि रिकूपमैन्ट किस खाते से की गई तथा उक्त रिकूपमैनट से सम्बन्धित अग्रिम राशि का भुगतान कौन सी अवधि में किया गया था। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(viii) माह 3/2006 के दौरान श्री विजय कुमार ड्राईवर से ₹30000/– की रिकूपमैन्ट की गई दर्शाई गई जिसके सम्बन्ध में भुगतान किए गए बिल/वाउचरों का विवरण व अवधि इत्यादि का विवरण अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ix) माह 3/2009 के दौरान ₹15200/– की दैनिक भोगी वेतन की रिकूपमैन्ट के रूप में दर्शाई गई जिस के सन्दर्भ में यह नहीं बताया गया कि उक्त व्यय सोसाईटी लेखा से कब किया गया था। अतः वांन्छित बिल/वाउचर जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाये।

(x) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 6 पर माह 3/2003 के दौरान SDM मनाली से प्राप्त की गई ₹29393 जोकि माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा से सम्बन्धित व्यय हेतु प्राप्त की गई थी, की रिकूपमेन्ट दर्शाई गई। उक्त प्राप्त की गई राशि के सम्बन्ध में किए गए भुगतान की विवरणी व बिल अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(xi) माह 3/2006 के दौरान सब जूनियर स्की चेम्पीयनशिप पर किए गए व्यय के सन्दर्भ में ग्रांट की ₹260715 प्राप्त की गई दर्शाई गई। उक्त प्राप्त की राशि से सम्बन्धित सोसाईटी लेखों से किए गए कुल व्यय का विवरण अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

(xii) माह 3/2008 के दौरान आय कर की कटौती के रूप में ₹1910/–को की गई दर्शाई गई। उक्त आयकर कटौती से सम्बन्धिते मूल बिल व विवरण जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xiii) माह 3/2009 के दौरान मै0 राईजिंग सन फिल्म प्राईवेट लिमिटेड से फिल्म शूटिंग के उपलक्ष में ₹10000/– प्राप्त की गई दर्शाई गई। उक्त राशि के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(xiv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 53 पर माह 5/2005 के दौरान ₹22474/– का भुगतान M/S Melody House Chandigarh को उनके बिल संख्या 849 दिनांक 28.5.04 के एवज में किया गया। उक्त बिल की जाँच करने पर पाया गया कि बिल में कम्पनी द्वारा निर्धारित सामान की दरों पर विक्रेता फर्म द्वारा निम्नविवरणानुसार छूट दी गई थी। इस छूट के सम्बन्ध

में लिखित शर्त बिल/अभिलेख में नहीं पाई गई जिसके कारण विक्रेता फर्म द्वारा वसूल की गई कीमत की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः फर्म द्वारा दी गई छूट के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

फर्म का नाम	सामान का नाम	वसूल की गई कीमत	मूल्य सूची में दर्शाई गई कीमत
M/S Melody House Ch.	UPA 1200 Unisound Make	6690	7575
	SCM 30T Ahuja	1510	1710
	EL II VHF Color Mike	440	5025

(xv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 53 पर माह 5/2005 के दौरान ₹4149/– का भुगतान M/S Melody House Chandigarh को उनके बिल संख्या 851 दिनांक 29.5.04 के एवज में साऊंड सिस्टम खरीदने हेतु किया गया। उक्त खरीद की अधोराईड डीलर की अनुमोदित मूल्य सूची अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(xvi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 53 पर माह 5/2005 के दौरान ₹20280/– का भुगतान M/S Blue store Limited Chandigarh को उनके बिल संख्या 210394 दिनांक 31.5.2004 के अन्तर्गत फ्रीजर खरीदने हेतु किया गया। इस खरीद से सम्बन्धित कोटेशने अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई। अतः अपेक्षित कोटेशनें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित किया जाए।

(xvii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 105 पर माह 11/2006 के दौरान ऋण की ₹398600/– जल क्रीड़ा केन्द्र पौंग डेम को मुरम्मत कार्य हेतु ऋण रूप में ₹398600/– दी गई। उक्त ऋण को सोसाईटी लेखों में कब वापिस किया गया यह नहीं दर्शाया गया। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाये।

(xviii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 53 पर माह 5/2005 के दौरान अग्रिम ₹10000/– का भुगतान श्री महावीर ठाकुर को सूचना पट्ट इत्यादि लिखने के लिए दिया गया। उक्त अग्रिम की रिकूपमेन्ट रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 99 पर की गई दर्शाई गई। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि रोकड़ वही में भुगतान का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था। अतः

मामले की छानबीन करने उपरान्त वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xix) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 25 पर माह 10/2008 के दौरान ₹29690/– व ₹16134 का भुगतान HP Agro Industries को उनके बिल संख्या 79288 दिनांक 23.8.08 व बिल संख्या 79311 दिनांक 3.9.08 के अन्तर्गत कैम्प व्यवस्था हेतु खरीदे गये सामान हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xx) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 25 पर माह 10/2008 के दौरान ₹229320/– का भुगतान M/S Trekko Equipment New Delhi को उनके बिल संख्या 283 दिनांक 18.8.08 द्वारा पर्वतारोहण का सामान खरीदने हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित निविदायें व स्टोर/स्टॉक की प्रविष्टियाँ अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xxi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 35 पर माह 3/2010 के दौरान ₹74880/– का भुगतान M/S Paradise Mountaneering New Delhi को पर्वतारोहण के सामान को खरीदने हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित कोटेशने व स्टोर/स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxii) माह 10/2008 व माह 12/2010 के दौरान रंगरोगन व लकड़ी का कार्य करवाने एवज में निम्नविवरणानुसार ₹91536 का भुगतान मस्ट्रोलों के अन्तर्गत किया गया परन्तु रंग रोगन व लकड़ी के कार्य के सम्बन्ध में मस्ट्रोलों में कार्य की प्रगति का तकनीकी आधार पर विशलेषण नहीं किया गया जिसके कारण किए गए भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त इन मस्ट्रोलों में भवन का क्षेत्रफल व कार्य के दौरान रंग रोगन की खपत व लकड़ी की खपत नहीं दर्शाई गई है। अतः कार्य को तकनीकी आधार पर सत्यापित करवाया जाए व विभिन्न प्रकार के सामान की खपत को भी दर्शाया गया तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

माह	रोकड़ वही पृ0सं0	भुगतान का विवरण	राशि
10/08	25	Musteroll Painting & wages palnting work	9372
12/10	99–100	Musteroll No. 3985 12/10 Painting/work	12144

		Musteroll No. 3984 11/10	50490
12/10	99	Mustroll No. 3983 11/10 Carpenter	19530
		योग	**91536**

(xxiii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 75 पर माह 7/2012 के दौरान ₹8580/– का भुगतान श्री रजिन्द्र सूद को माह 6/2012 के वेतन हेतु किया गया दर्शाया गया है। उक्त भुगतान के समर्थन में बिल, उक्त कर्मचारी को सोसाईटी लेखों से रखे जाने की सेवा शते व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति इत्यादि अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच के लिये प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxiv) WHMI सोसाईटी के लेखों/अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी के लेखों से विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए अलग से फाईले लगाई गई है तथा भुगतान बिलों को उसी आधार पारित किया गया था जोकि सही व्यवस्था नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि सभी भुगतान वाउचरों को क्रमानुसार वाउचर फाईल में लगाया जाए तथा वाउचरों में भुगतान की दिनांक इत्यादि को भी दर्शाया जाए जिससे कि भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी आसानी से उपलब्ध की जा सके व दोहरे भुगतान की सम्भावनाओं से बचा जा सके।

(xxv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 6 पर माह 9/2011 के दौरान ₹55692 का भुगतान मै0 राम लाल एण्ड सन्ज, मनाली को पर्वतारोहण का सामान खरीदने के लिए किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित कोटेशने अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxvi) सोसाईटी के लेखों के अंकेक्षण के दौरान संस्थान द्वारा किये गये भुगतान बिलों की राशि में से 31.3.2013 को बकाया भुगतानों की स्थिति को नहीं दर्शाया गया। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 992 दिनांक 2013 द्वारा वांन्छित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः 31.3.13 तक किये जाने वाले बकाया भुगतान बिलों की विवरणी तैयार की जाए तथा वांन्छित अभिलेख की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)(एच)(2)सी(15)(14) 71/83खण्ड—3—2055—2057, दिनांक02.04.2014, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत :—1 निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली जिला कुल्लू, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त सचिव युवा सेवाएं एवं खेल हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

3 श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा.................

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.